



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102021-230249
CG-DL-E-08102021-230249

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3801]
No. 3801]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2021/आश्विन 15, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2021/ASVINA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4135(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मिजोरम राज्य के लुंगलेई जिले में NH 302 के कि.मी. 39.246 से कि.मी. 57.641 (डिप्टी कमिश्नर काम्प्लेक्स, वेंगलई, लुंगलेई) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 24 मई, 2021 को " लुंगलेई टाइम्स " और "जुनज़ाम" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मिजोरम राज्य के लुंगलेई जिले में NH 302 के कि.मी. 39.246 से कि.मी. 57.641 (डिप्टी कमिश्नर काम्प्लेक्स , वेंगलई , लुंगलेई) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मिजोरम			जिले का नाम: लुंगलेई		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: लुंगसेन				
	गांव का नाम: रांगते				
1	GLSC 14/1990	निजी	ड्राई	0.3142532	पी. लालबियाका ()
2	GLSC 16/1990	निजी	ड्राई	0.0757368	एच. ललथनमाविया ()
3	GLSC 17/1990	निजी	ड्राई	0.0504984	एच. रोहलुजुआला ()
4	GLSC 3/2016	निजी	ड्राई	0.1590331	लालनुंटलुआंगा सेलो ()
5	PP 141/1981	निजी	ड्राई	0.0722934	एच. ज़ोननमाविया c/o लालरिंचन ()
6	PP 21/1986	निजी	ड्राई	0.6598534	सीएच. लियानखुमा c/o आर. लालरामहलुनी ()
7	PP 685/1977	निजी	ड्राई	0.1397284	एस. वनलालसियामी ()
8	PP 93/1989	निजी	ड्राई	0.0688962	लालरिनमाविया ()
9	VCP 17/2013	निजी	ड्राई	0.1608564	रेमकिमी ()
10	VCP 2/2015	निजी	ड्राई	0.393216	वी. लालदुहवामा ()
			कुल	2.0943653	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Lunglei/Lunglei-Tlabung/NH-302/04/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2021

S.O. 4135(E) .—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 302 on the stretch of land from Km. 39.246 to Km. 57.641 (Deputy Commissioner Complex , Venglai , Lunglei) in the district of LUNGLEI in the state of MIZORAM;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lunglei Times” and “Zunzam” both dated 24th May, 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 302 in the stretch of land from Km. 39.246 to Km. 57.641 (Deputy Commissioner Complex , Venglai , Lunglei) in the district of LUNGLEI in the State of MIZORAM.

State: MIZORAM		District: LUNGLEI			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Lungsan				
	Village: Rangte				
1	GLSC 14/1990	Private	Dry	0.3142532	P. Lalbiaka
2	GLSC 16/1990	Private	Dry	0.0757368	H. Lalthanmawia
3	GLSC 17/1990	Private	Dry	0.0504984	H. Rohluzuala
4	GLSC 3/2016	Private	Dry	0.1590331	Lalnuntluanga Sailo
5	PP 141/1981	Private	Dry	0.0722934	H. Zonunmawia c/o Lalrinchhana
6	PP 21/1986	Private	Dry	0.6598534	CH. Liankhuma c/o R. Lalramhluni
7	PP 685/1977	Private	Dry	0.1397284	S. Vanlalsiami
8	PP 93/1989	Private	Dry	0.0688962	Lalrinmawia
9	VCP 17/2013	Private	Dry	0.1608564	Nemkimi

10	VCP 2/2015	Private	Dry	0.393216	V. Lalduhawma
			TOTAL	2.0943653	

[F. No. NHIDCL/PMU-Lunglei/Lunglei-Tlabung/NH-302/04/3D1]

RAJESH GUPTA, Director